न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी ::24 / 2016 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2016 / 00161

प्रार्थी :—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
1. कुशलराज पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति सोनी निवासी खैरवा तहसील पाली 2. बंशीलाल पुत्र श्री गुणेशजी जाति राव निवासी खैरवा तहसील पाली		1. सरपंच ग्राम पंचायत खैरवा तहसील पाली 2. वजीरखॉं पुत्र श्री अशरफखॉं जाति कायमखानी मुसलमान निवासी खैरवा तहसील पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :— प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत
अप्रार्थी की ओर से मोहनलाल वर्मा

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 17-11-21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 2 के हक में ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 25.5.2011 की पालना में जारी पट्टा संख्या 48 निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर ग्राम पंचायत से रेकर्ड तलब किया गया। तथा बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी वार्ड संख्या 10 से जनप्रतिनिधी होने से ग्राम पंचायत के आदेश की वैधता व शुद्वता की जांच करने का अधिकारी व्यक्ति होने से एग्रीविड व्यक्ति है। जैर निगरानी आराजी पर ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा पूर्व में प्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 5.12.75 को पट्टा संख्या 4410 जारी किया गया था जिस पर उसका मकान व टयुबवेल खुदा हुआ होने से उसका कब्जा है। ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 20.5.2011 की पालना में जारी जैर जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय पंचायत राज अधिनियम 1994 व पंचायत सामान्य नियम 1996 में प्रदत नियम 145 से 163 की अवहेलना की है। जिससे जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। अप्रार्थी संख्या 2 धनी व्यक्ति है तथा उसका न तो बीपीएल सुची में नाम है न ही वह भुतपूर्व सैनिक अथवा पिछडा वर्ग परिवार से है उसका गांव में पहले से पक्का मकान बना होने से रिहायती दर भूखण्ड प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा न ही उक्त जैर निगरानी आराजी पर कानूनन कब्जा है अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। उक्त जैर निगरानी पट्टा 3685 वर्गफुट का जारी किया गया है जो ग्राम पंचायत द्वारा नियमों से परे जाकर किया गया है। अतः नियमों की पालना नहीं की जाने से जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 2 सन् 2010 से 2015 तक पंचायत समिति सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ व पंचायत अधिनियम की धारा 48(3) के तहत दिनांक 20.5.2011 को ग्राम पंचायत बैठक में उपस्थित था अतः अपने पद व प्रभाव का दुरूपयोग कर सरंपच से मिलावट कर जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया जो निरस्तनीय है। जैर निगरानी आराजी पर पूर्व में पुखराज, मदनलाल व बंशीलाल वगैरह को ग्राम पंचायत ने पट्टे जारी किये थे अतः पूर्व में जारी पट्टे खारिज कराये बिना नये पट्टा जारी करना विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 ने न तो ग्राम पंचायत में आवेदन किया है न ही तीन वार्ड पंचो की कमेटी ने मौका देखा तथा न ही ग्राम सचिव द्वारा नक्शा बनाया गया है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। नियमानुसार आवेदन शुल्क, निरीक्षण शुल्क व नक्शा शुल्क जमा नहीं करवाया गया एवं न ही आपति नोटिस जारी किया गया है तथा कब्जा बाबत ग[illegible]यान भी नहीं लिये गये है अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। [illegible] होने से नियम 157(1) के तहत विक्रय वि[illegible] है अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। उक्त आबादी भूमि डी.एल.सी. रेट व बाजार भाव [illegible] होती तो ग्राम पंचायत को उक्त भूखण्ड से करीब [illegible]न लाख रू. की राजस्[illegible] होती अतः ग्राम पंचायत खैरवा ने उक्त राजस्व आय को नजरअन्दाज कर राजकोष को राजस्व हानि पहुंचाई है अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मधेनजर जैर निगरानी

क्रमश.....................2

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:34:12 IST
Reason: SelfAttested

पट्टा निरस्त फरमावे। अधिक्ता प्रार्थी द्वारा अपने तर्कों की ताईद में 2010 0 Supreme(Raj) 728, 2010 2 RLW (RJ) 968, 2012 0 Supreme (Raj.) 427, 2012 73 RCR (Civ) 944; 2013 1 RLW (RJ) 243; 2012 5 WLC 663, 1999 0 Supreme (Raj) 454, 1999 2 RLW (Raj) 1478 प्रस्तुत किए तथा इस न्यायालय द्वारा पूर्व में अन्य प्रकरण संख्या 27/2015 व 87/2017 में पारित निर्णय की प्रति भी पेश की गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जिसके हक अधिकार प्रभावित होते हो वो ही रिविजन करने का अधिकारी होता है जबकि प्रार्थी के हक अधिकार किस प्रकार प्रभावित होते है इस बाबत कोई दस्तावेज व शपथपत्र पेश नहीं किए है। अतः निगरानी काबिले खारिज है। जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी का मकान बना हुआ है तथा बिजली का कनेक्शन है टयूबवेल खुदा है व पट्टे का ग्राम पंचायत से पंजियन कराया हुआ है तथा पट्टा पंजियन को सिविल कोर्ट द्वारा ही खारिज किया जा सकता है अतः उक्त निगरानी खारिज योग्य है। अप्रार्थी का जैर निगरानी आराजी पर पैतृक कब्जा होने के आधार पर ग्राम पचांयत द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर नियम 157(1) के तहत नियमों की पालना करते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। जैर निगरानी आराजी पर प्रार्थी का कब्जा व हक अधिकार होने बाबत कोई साक्ष्य सबूत भी नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि प्रार्थी का जैर निगरानी आराजी पर कब्जा है। अतः प्रार्थी के हक अधिकार नहीं होने से पंचायत राज नियमों के तहत प्रार्थी को निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं था। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जाकर जैर निगरानी पट्टे को यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली व ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तथा वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस निगरानी प्रार्थना पत्र में विचारणीय बिन्दु 4 है :–

1. क्या पट्टे पर पट्टा जारी किया गया है ?
2. क्या वजीर खां ने वार्ड पंच होते हुए अपने नाम का पट्टा जारी करवाया है ?
3. क्या पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है?
4. क्या निगरानीकर्ता Aggrieved party है ?

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली संलग्न दोनों पट्टो की प्रतिलिपी एवं ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा संख्या 48 के पड़ोस स्पष्ट रूप से दर्शाये गये है परन्तु पट्टा संख्या 4410 के पड़ोस दिखने में स्पष्ट नहीं है अतः पट्टे में वर्णित स्पष्ट पड़ोस नहीं होने की स्थिति में यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि पट्टे पर पट्टा जारी किया गया है। बिना साक्ष्य सबूत के अभाव में पट्टे पर पट्टा जारी किया जाना सिद्ध नहीं होता है।

ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25.5.2011 को कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है तथा 20.5.2011 को लिया गया प्रस्ताव उक्त जैर निगरानी पट्टे से संबंधित है ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता है एवं न ही उक्त प्रस्ताव के सदस्यों की बैठक में वजीर खां का नाम अथवा हस्ताक्षर है। तथा न ही ग्राम पंचायत द्वारा लिये गये अन्य प्रस्तावों पर वजीर खां का नाम अथवा हस्ताक्षर है तथा वकील प्रार्थी द्वारा भी इस प्रकार का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि वजीर खां जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय वार्ड पंच था।

ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 20.5.2011 को लिये गये प्रस्ताव पर लगी सरपंच की सील तथा उक्त पट्टे से संबंधित कायम की गई [illegible] सील भिन्न–भिन्न है जिससे यह संदेह पैदा होता है कि [illegible] समय में बनाई गई है तथा प्रस्ताव अलग

क्रमश.....................3

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:34:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

समय में लिया गया है। मिसल के संलग्न बने नक्शे पर नक्शानविस के हस्ताक्षर का अभाव है तथा पड़ोस अंकित नहीं है आपति आमंत्रित करने के इश्तिहार के पृष्ठ भाग पर दो मौतबिरानों के हस्ताक्षर मात्र है कहां चस्पा किया गया इसका उल्लेख नहीं है। मिसल संलग्न बयानों पर दिनांक अंकित नहीं है तथा सभी पर अप्रार्थी के ही हस्ताक्षर किये हुए है। जो विधिसम्मत नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25.5.2011 को प्रस्ताव रजिस्टर में प्रस्ताव लिये जाने का अंकन नहीं है तथा 20.5.2011 को लिया गया प्रस्ताव उक्त जैर निगरानी पट्टे से संबंधित है ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता है। पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 157(1) के तहत ग्राम पंचायत को केवल 300 वर्गगज (2700 वर्गफुट) तक का ही पट्टा जारी किया जाने की ही अधिकारिता है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा 409 वर्गगज (3685 वर्गफुट) का पट्टा जारी किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। उससे अधिक भूमी का पट्टा जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेनी होती है जो नहीं ली गई है। अतः जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं किया जाना परिलक्षित होने से जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है।

किसी व्यक्ति द्वारा निगरानी पेश करने में पिड़ित पक्षकार होना आवश्यक नहीं है राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 97 के अनुसार " राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्हीं भी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप–समिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपान्तरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए, तो वह तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगी"। अतः उक्त आधार पर भी निगरानी खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है एवं जैर निगरानी पट्टा संख्या 48 जो तथाकथित प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 25.05.2011 अथवा प्रस्ताव संख्या 20.5.2021 की पालना में जारी किया गया दोनों को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17-1-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:34:12 IST
Reason: SelfAttested